भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



असाधारण EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं.	253]	दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 4, 2017/आषाढ़ 13, 1939	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 143
No.	253]	DELHI, TUESDAY, JULY 4, 2017/ASADHA 13, 1939	[N.C.T.D. No. 143

भाग—IV PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

श्रम विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 3 जुलाई, 2017

फा. सं. 1/31/600/एलसी/स्था./649.—पूर्व गृह मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 1 अप्रैल, 1937 की अधिसूचना सं. फा. 126/37 तथा गृह मंत्रालय की दिनांक 7 सितम्बर 1966 की अधिसूचना सं. एसओ 2709 के साथ पिठत बॉयलर अधिनियम, 1923 (1923 का 5) की धारा 5 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शिक्त्यों का प्रयोग करते हुए तथा इस सरकार की दिनांक 20 दिसम्बर, 2013 की अधिसूचना सं. फा. 1/31/600/एलसी/स्था./08/4305 के अधिक्रमण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा श्री एस. पाण्डया राजन, उप मुख्य निरीक्षक कारखाना को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सांविधिक कर्तव्यों के निर्वहन के प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए मुख्य निरीक्षक बॉयलर तथा स्मॉक नूसन्स के रूप में मुख्य निरीक्षक बॉयलर की शिक्तयां प्रदत्त करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

संजय कुमार सक्सैना, सचिव-सह-आयुक्त (श्रम)

LABOUR DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 3rd July, 2017

F. No. 1/31/600/LC/Estt./649.—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 5 of the Boilers Act, 1923 (5 of 1923), read with the Government of India, Late Home Department Notification No. F.126/37, dated the 1st April, 1937 and Ministry of Home Affairs Notification No. S.O. 2709, dated the 7th September, 1966, and in supersession of this Government's Notification No. F.1/31/600/LC/Estt./08/4305 dated the 20th December, 2013, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to confer the powers of Chief Inspector of Boilers on Sh. S. Pandia Rajan, Deputy Chief Inspector of Factories as the Chief Inspector of Boilers and Smoke Nuisances for the National Capital Territory of Delhi for the purpose of discharging statutory duties under the said Act, with effect from the date of assuming charge.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

SANJAY KUMAR SAXENA, Secy.-cum-Commissioner (Labour)